न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 161/2016

दायर दिनांक – 02/09/2016

निर्णय दिनांक – 09/11/2017

अनवान

1. सुरजमल पिता किशना कुमावत निवासी मदारा तह0– रेलमगरा

वादी

बनाम

1. नारायण पिता किशना कुमावत निवासी मदारा तह0– रेलमगरा
2. भूरा पिता चम्पा कुमावत निवासी मदारा तह0– रेलमगरा
3. लहरू पिता चम्पा कुमावत निवासी मदारा तह0– रेलमगरा
4. मोहन पिता किशोर कुमावत हाल निवासी चाम्पा खेडी, तह0 रेलमगरा।
5. प्यार चन्द पिता किशोर कुमावत हाल निवासी चाम्पा खेडी, तह0 रेलमगरा।
6. भोली बाई पिता जयराम कुमावत निवासी हाल निवासी चाम्पा खेडी, तह0 रेलमगरा।
7. शिवलाल पिता जयराम कुमावत हाल निवासी चाम्पा खेडी, तह0 रेलमगरा।
8. अमरी बाई विधवा जयराम कुमावत हाल निवासी चाम्पा खेडी, तह0 रेलमगरा।
9. दाखी पुत्री हरलाल कुमावत निवासी मदारा तह0– रेलमगरा
10. शंकर पिता गोकल कुमावत निवासी मदारा तह0– रेलमगरा
11. डालु पिता गोकल कुमावत निवासी मदारा तह0– रेलमगरा
12. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा रेलमगरा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा।

प्रतिवादीगण

वाद–विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परिष्ट प्रर्दश Ex 1 से 5 में वर्णित आराजी ग्राम मदारा की खसरा नम्बर 137, 158, 218, 221, 415, 921, 931, 1125/415, 763, 764, 91, 92, 155, 156, 157, 762, 755, 756, 757, 758, 759 वादी व प्रतिवादीगण की एक सामलाती आराजी है। जिसका वादी अपने हिस्से मुताबिक बंटवाडा करना चाहता है। परन्तु प्रतिवादीगण इसके लिए तैयार नहीं है। अतः विभाजन किया जावें तथा बखिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा दी जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाव पेश किया। तथा प्र0सं0 2 से 13 बावजूद तामिलान के

2/

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

अनुपस्थित रहे। उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में तनकियात काम की गयी। तथा वादी ने शहादत PW-1 सुरजमल PW-2 भोपसिंह PW-3 गिरीराज को अपने वादपत्र की ताईड करते हुए प्रस्तुत किये कि उक्त वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण कि संयुक्त सामलाती आराजी है। जिसका विभाजन किया जावे। प्रतिवादी की तरफ से काई शहादत पेश नहीं कि गई। दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2056 से 59 ग्राम मदारा के मुतनाजा आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते में दर्ज है। प्रस्तुत नक्शा ट्रेस Ex 5 तथा Ex 7 A व Ex 8 A का अवलोन किया गया। वादी मुतनाजा आराजी का सह खातेदार है व अपने हस्से मुताबिक एवं कब्जे मुताबिक बंटवाडा कराने का अधिकारी है। वादी का वाद बाबत् विभाजन स्वीकार किया जाकर अन्तर्गत धरा 53 RTA अधिनियम 1955 के तहत बंटवाडे कि प्राथमिक डिकी जारी कि जाती है। तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पद्धति के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 को मध्य नजर रखते हुए 1 मुताबिक पक्षकारान के हिस्से व कब्जे मुताबिक बंटवाडा किया जाकर बंटवाडा स्कीम दो–दो प्रतियों में प्रस्तुत करें। पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें।

उक्त निर्णय से असंतुष्ठ होकर वादी ने श्रीमान न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में अपील संख्या 25/2012 (राजसमन्द डिकी) प्रस्तुत की गयी। अपीलिय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25/07/2016 के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी दिनांक 21/10/2011 अपास्ती की जाकर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे वस्तु स्थिति अनुसार विधि के आलोक मे पुनः विभाजन प्रस्ताव सक्षम राजस्व अधिकारी स्वयं की उपस्थिति में तैयार कर मंगवाये तथा पक्षकारों को सुनकर पुनः अंतिम डिकी पारित करें। का आदेश पारित किया गया।

इस पर पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। पक्षकारान द्वारा अन्य कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया जाकर सीधे ही बहस चाही जाने से प्रकरण में पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मदारा की खसरा नम्बर 137, 158, 218, 221, 415, 921, 931, 1125/415, 763, 764, 91, 92, 155, 156, 157, 762, 755, 756, 757, 758, 759 का विभाजन हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमान न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

के निर्देशानुसार मौके की वस्तु स्थिति अनुसार विधि के आलोक मे पुनः विभाजन प्रस्ताव स्वयं एवं पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन योजना तैयार की जाकर दो–दो प्रतियों में पृथक–पृथक रंग भरे जाकर प्रस्तुत करें। इसी अनुरूप प्रारम्भिक डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 09/11/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रारम्भिक डिकी

मूल वाद में डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्तिसिंह भाटी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 161/2016 वाद

वादीपक्ष :–

1. सुरजमल पिता किशना कुमावत निवासी मदारा तह0– रेलमगरा

–: बनाम :–

प्रतिवादीपक्ष :–

1. नारायण पिता किशना कुमावत निवासी मदारा तह0– रेलमगरा
2. भूरा पिता चम्पा कुमावत निवासी मदारा तह0– रेलमगरा
3. लहरू पिता चम्पा कुमावत निवासी मदारा तह0– रेलमगरा
4. मोहन पिता किशोर कुमावत हाल निवासी चाम्पा खेडी, तह0 रेलमगरा।
5. प्यार चन्द पिता किशोर कुमावत हाल निवासी चाम्पा खेडी, तह0 रेलमगरा।
6. भोली बाई पिता जयराम कुमावत निवासी हाल निवासी चाम्पा खेडी, तह0 रेलमगरा।
7. शिवलाल पिता जयराम कुमावत हाल निवासी चाम्पा खेडी, तह0 रेलमगरा।
8. अमरी बाई विधवा जयराम कुमावत हाल निवासी चाम्पा खेडी, तह0 रेलमगरा।
9. दाखी पुत्री हरलाल कुमावत निवासी मदारा तह0– रेलमगरा
10. शंकर पिता गोकल कुमावत निवासी मदारा तह0– रेलमगरा
11. डालु पिता गोकल कुमावत निवासी मदारा तह0– रेलमगरा
12. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा रेलमगरा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा।

दावा :–

वादी की ओर से :– अधिवक्ता– एस.के. मेहता

प्रतिवादी की ओर से :– अधिवक्ता– सी.एस. शक्तावत

में इस आशय में दिनांक 09/11/2017 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिकी दी जाती है वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मदारा की खसरा नम्बर 137, 158, 218, 221, 415, 921, 931, 1125/415, 763, 764, 91, 92, 155, 156, 157, 762, 755, 756, 757, 758, 759 का विभाजन हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमान न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्देशानुसार मौके की वस्तु स्थिति अनुसार विधि के आलोक मे पुनः विभाजन प्रस्ताव स्वयं एवं पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन योजना तैयार की जाकर दो–दो प्रतियों में पृथक–पृथक रंग भरे जाकर प्रस्तुत करें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें।

आज दिनांक 09/11/2017 को न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा